Truth will Trimuph

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
(के.एम.शर्मा)
महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
(बी.के.सिन्हा)

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1
(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष : 2224282 (O), 2353207 (R)
महासचिव : ~~2286093~~ (R) 22054121
कोषाध्यक्ष : 2232755 (O), 2262597 (R)

उपाध्यक्ष
अर्जुन प्रसाद
संयुक्त सचिव
सआदत हसन मन्टू
रजनीश कुमार सिंह
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या– 36

दिनांक... 12-12-2005

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री,
बिहार सरकार, पटना ।

विषयः बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के चिर–लम्बित मागो एवं हो रही कठिनाईयों के सबंध में स्मार पत्र ।

महाशय,

आपकी अगुवाई में नई सरकार के गठन से समाज का हर तबका अति उत्साहित है और सभी को आपसे बहुत सारी अपेक्षायें हैं । गत 15 वर्षो से बिहार राज्य के धीमे विकास के चलते समाज का हर तबका प्रभावित हुआ है और हर क्षेत्र में बिहार पीछे चला गया है । हमारी स्थिति भी बद से बदतर हुई है ।

बिहार प्रशासनिक सेवा राज्य की प्रथम सेवा है । इस सेवा के पदाधिकारी प्रखण्ड/अंचल स्तर से सचिवालय स्तर के विभिन्न विभागों में उत्तरदायित्व–पूर्ण पद पर पदस्थापित है । सरकार की नीति निर्धारण में सहभागिता के साथ–साथ हमारे पदाधिकारी सुदूर क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों की विधि व्यवस्था संधारण और विकास संबंधी कार्यक्रमों कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है फिर भी हमारी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है ।

प्रखण्ड/अंचल कार्यालय से लेकर जिला स्तर तक के कार्यारत पदाधिकारियों को न आवास की सही ढंग से सुविधा है और न ही उनके सुरक्षा की गारन्टी है । सुरक्षा की यह स्थिति है कि सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र के बावजूद बिहार के सभी अंचलों में अब तक न अंचल गार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है और न ही प्रखण्ड/अंचल में पदस्थापित पदाधिकारियों को अंग–रक्षक ही उपलब्ध कराया गया है, जिसके चलते पदाधिकारियो की हत्या तक हुई है । हाल में स्व0 अशोक राजवत, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अरियरी (शेखपुरा) की हत्या सुरक्षा की अनुपलब्धता के कारण आपराधिक तत्वों द्वारा की गयी । सरकार के उच्च पद पर आप स्वंय निर्णय कर सकते है कि जो पदाधिकारी अपनी सुरक्षा के लिए चिन्तित है, वह जनता के जान–माल की सुरक्षा इस विषम परिस्थिति में बिना सुरक्षा गार्ड या अंग–रक्षक के कैसे कर सकते है । विधि–व्यवस्था संधारण में भी जीप, सरकारी आवास एवं आरक्षी बल इन पदाधिकारियों के साथ संलग्न होना अति आवश्यक है ।

TWI
Truth will Trimuph

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1
(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
(के.एम.शर्मा)
महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
(बी.के.सिन्हा)

अध्यक्ष : 2224282 (O), 2353207 (R)
महासचिव : 2286093 (R) 2205421
कोषाध्यक्ष : 2232755 (O), 2262597 (R)

उपाध्यक्ष
अर्जुन प्रसाद
संयुक्त सचिव
सआदत हसन मन्टू
रजनीश कुमार सिंह
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या– दिनांक....................

महोदय । वर्षो से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों से संबधित निम्नलिखित मॉगो के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है, परन्तु इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई अब तक नहीं हो पायी है । आशा ही नहीं संघ को पूर्ण विश्वास है कि हमारी मॉगो के प्रति आपका रूख सकारात्मक होगा और आप प्रभावकारी आदेश देंगे ।

1. **बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को 8000–13500/– रू0 का वेतनमान उपलब्ध कराने के संबंध में** :– आप सहमत होंगे कि बिहार प्रशासनिक सेवा राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता की सेवा है । पूर्व में बिहार असैनिक सेवा में दो शाखायें थी (1) कार्यपालिका तथा (2) न्यायपालिका शाखा। दोनो शाखाओं का वेतनमान समान था, परन्तु अब बिहार न्यायिक सेवा का वेतनमान 9000–14500/– रूपये का हो गया है, परन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारी के समतुल्य 6500–10500 का वेतनमान कर दिया गया है । ① ⑤ ⑧ ⑨ ⑪–U.P ⑬ ↓ Agri. Uni

प्रथम एवं द्वितीय वेतन पुनरीक्षण समिति में बिहार प्रशासनिक सेवा को अन्य सेवा से विशिष्ट वेतनमान प्राप्त था । तृतीय एवं चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण में इस सेवा के वेतनमान को अन्य राजकीय सेवा के वेतनमान के अनुरूप कर दिया गया । चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति में बिहार प्रशासनिक सेवा को 2200–4000/– रू0 का वेतनमान प्राप्त था । इस वेतनमान वाले केन्द्र सरकार के पदाधिकारियों को 8000–13500/– रू0 का वेतनमान दिया गया । यहॉ तक कि वरीय लेखा पदाधिकारी एवं वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी जो ग्रुप "बी" की सेवा के है, उन्हें भी 8000–13500/– रू0 का वेतनमान दिया गया, परन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को एक क्रम नीचे यानि 6500–10500/– रू0 का वेतनमान निर्धारित कर दिया गया है । उल्लेखनीय है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को वेतनमान बंगाल, मध्य प्रदेष, उत्तर प्रदेश एव अन्य राज्य में 8000–13500/– रूपये प्राप्त है ।

2. वर्ष 1999 के बाद, 5 वर्षो तक स्टैगनेशन की स्थित झेलने के बाद वर्ष 2004–2005 में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रोन्नति दी गयी, परन्तु अब तक 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा पूरा कर लेने के उपरान्त ए0सी0पी0 का लाभ बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को नहीं मिल पाया है । वर्ष 2005 में प्रोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्त पदों को भरने हेतु कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गयी है । टाईम स्केल का भी लाभ प्राप्त नहीं है । जब कि कुछ राज्यों में इन पदाधिकारियों को टाइम स्केल प्राप्त है ।

5 वर्षो के विलम्ब के बाद प्रोन्नति मिलने के उपरान्त कालावधि पूरा नहीं किये जाने के कारण निदेशक के 3 पद अब दो वर्षों तक रिक्त रहेंगे । अगर कालावधि क्षात कर ये तीनों पद

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

Truth will Trimuph

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–।

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
(के.एम.शर्मा)
महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
(बी.के.सिन्हा)

अध्यक्ष : 2224282 (O), 2353207 (R)
महासचिव : ~~2286093~~ (R) 22054421
कोषाध्यक्ष : 2232755 (O), 2262597 (R)

उपाध्यक्ष
अर्जुन प्रसाद
संयुक्त सचिव
सआदत हसन मन्टू
रजनीश कुमार सिंह
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या–

दिनांक.....

नहीं भरे जाते है तो बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीयतम तीन पदाधिकारियों को इसका लाभ नहीं मिल पायेगा । ''संघ'' यह मॉग करती है कि कालावधि क्षात कर प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों को सरकार शीध्र भरने की कार्रवाई करें और रिक्ति की तिथि से प्रोन्नत दें क्योंकि विलम्ब से प्रोन्नति दिये जाने में पदाधिकारियों का कोई दोष नहीं है । इधर हाल में प्रथम ए0सी0पी0 दिये जाने हेतु बैठक की गयी है, परन्तु आदेश अब तक निर्गत नहीं हो पाया है ।

3. **विशेष सचिव/ अपर सचिव के पदों को पुर्नस्थापित करने तथा बंगाल, आसाम आदि राज्यो की भॉति राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को जिला दण्डाधिकारी के पॉच पद पर पदस्थापित करने के संबंध में :–** अविभाजित बिहार में कुल 6 पद विशेष सचिव एवं 11 पद अपर सचिव का बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को अनुमान्य था । इस प्रकार बिहार विभाजन के फलस्वरूप 8 पद अपर सचिव और 4 पद विशेष सचिव को राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए । यह पद पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति के वेतनमान लागू होने के उपरान्त समाप्त कर दिया गया, जिसका कोई औचित्य नहीं है । विदित हो कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को 28 से 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरान्त भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति दी जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों की संख्या हर बैंच में काफी कम है । इस प्रकार इस सेवा के ज्यादातर पदाधिकारी संयुक्त सचिव से उपर प्रोन्नत नहीं पाते है । इनके मनोबल को बनाये रखने के लिए विशेष सचिव/ अपर सचिव के पद बिहार सरकार द्वारा सृजित किया गया था परन्तु इसे भी समाप्त कर दिया गया । संघ यह मॉग करती है कि विशेष सचिव के 4 पद और अपर सचिव के 8 पद पुनर्जीवित किये जोयं । झारखण्ड जैस राज्य में भी विशेष सचिव के 6 पद और अपर सचिव के 12 पद सृजित किये गये है साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए 5 पद जिला दण्डाधिकारियों के लिए आसाम, बंगाल राज्यो की भॉति चिन्हित किया जाय ।

4. विहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली 1996 के तहत प्रत्येक तीन वर्षो में कैडर रिभियू की व्यवस्था है । इसके लिए एक समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित है । इस समिति की अनुशंसा पर ही इस सेवा के सभी स्तर के पदों का पुनरीक्षण किया जा सकता है । ''संघ'' यह मॉग करती है कि संयुक्त सचिव/ अपर जिला दण्डाधिकारी/ अपर सचिव/ अनुमण्डलीय स्तर के सभी छुटे हुए पदों को चिन्हित कर पदाधिकारियों को प्रोन्नति उन पदों पर सरकार करें । इस हेतु सरकार एक बैठक शीध्र बुलायें ।

5. **बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के संबंध में :–** राज्य हित एवं प्रशासनिक हित में ''संघ'' यह मॉग करती है कि सरकार

Truth will Trimuph

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
(के.एम.शर्मा)
महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
(बी.के.सिन्हा)

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–।

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष : 2224282 (O), 2353207 (R)
महासचिव : 2286093 (R) 220542/
कोषाध्यक्ष : 2232755 (O), 2262597 (R)

उपाध्यक्ष
अर्जुन प्रसाद
संयुक्त सचिव
सआदत हसन मन्टू
रजनीश कुमार सिंह
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या–

दिनांक.....

सभी जिलों/ अनुमण्डलों/ प्रखण्डों एवं अंचलो में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए आवास/कार्यालय भवन/ वाहन एवं सुरक्षा उपलब्ध कराये, जिससे कि राज्य का विकास त्वरित गति हो सके । विकास की गति तेज करने के लिए पदाधिकारियों को आवास/कार्यालय भवन/वाहन के साथ–साथ अंचलों में अंचल गार्ड की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित किया जाय एवं क्षेत्र में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को एक–एक अंगरक्षक मुहैय्या कराया जाय।

6. **कैडर पद पर कैडर पदाधिकारियों का पदस्थापन हो :–** विदित हो कि बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्गीय नियम के तहत इस सेवा के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के पदस्थापन हेतु पदों का चिन्हितिकरण किया गया है, परन्तु हमारे कैडर पद पर दूसरे सेवा के पदाधिकारी इधर हाल में पदस्थापित कर दिये गये है । जैसे प्रबन्ध निदेषक, बिहार टेक्सबुक कॉरपोरेशन, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग इत्यादि के पदों पर इस संवर्ग के पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, जबकि ये पद हमारे कैडर ऑफिसर के लिए चिन्हित है ।

7. **कठिन कर्त्तब्य भत्ता में बढ़ोतरी :–** वर्ष 1980 से बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड के पदाधिकारियों को 75/– रू0 रूपये प्रति माह एवं वरीय पदाधिकारियों, जो प्रखण्ड/ अंचल/ अनुमण्डल एवं जिलों में पदाधिकारियों को 100/–रू0 प्रति माह के दर से स्वीकृति किया गया था । 25 वर्षो के बाद भी अभी तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं किया गयी है । अतः सरकार द्वारा इसमें अनुपातिक वृद्धि की जानी चाहिए ।

8. **प्रखण्डो / अंचलो से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को वापस बुला कर इनकी सेवा अनुमण्डल स्तर में कार्यपालक दण्डाधिकारी से प्रारंभ करने के सम्बन्ध मे :–** अन्य राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अपनी सेवा अनुमण्डल दण्डाधिकारी के पद से प्रारंभ करते है । प्रखण्ड एवं अंचलो में ग्रामीण विकास विभाग से अलग से नियुक्ति पदाधिकारी को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा राजस्व सेवा के पदाधिकारी को अंचल अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है । अतः यहॉ भी इस व्यवस्था में बदलाव किया जाय ।

9. **प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन** कर राज्य, प्रमण्डल , जिला एवं अनुमण्डल स्तर पर शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर राज्य प्रशासन को चुस्त–दुरूस्त बनाने, विकास हेतु त्वरित कार्रवाई करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश आदि राज्यों की भॅति शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करने से प्रशासनिक क्षमता का विकास होगा एवं राज्य के विकास में सहूलियत भी होगी । अतः प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कर शक्तियों के विकेन्द्रीकरण किया जाय ।

Truth will Trimuph

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
(के.एम.शर्मा)
महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
(बी.के.सिन्हा)

अध्यक्ष : 2224282 (O), 2353207 (R)
महासचिव : ~~2286093~~ (R) 2205421
कोषाध्यक्ष : 2232755 (O), 2262597 (R)

उपाध्यक्ष
अर्जुन प्रसाद
संयुक्त सचिव
सआदत हसन मन्टू
रजनीश कुमार सिंह
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता

दिनांक....................

पत्र संख्या–

महोदय । आप सहमत होंगे कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का कार्य दुर्गम क्षेत्रों में कितना कठिन है और उनकी जिम्मेवारी कितना गुरुत्तर हैं । ये विकास के रीढ़ है । इनके भरपूर सहयोग के बिना राज्य के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती । जब तक दुर्गम क्षेत्रों में पदस्थापित इन पदाधिकारियों का मनोबल उँचा नहीं रहेगा तो गरीबी उन्मूलन के कार्यान्वयन की अपेक्षित प्रगति होना संभव नहीं होगा ।

आशा है कि आप हमारी मॉगो पर शीध्र विचार करने हेतु हमसे वर्त्ता की तिथि एवं समय का निर्धारण करने की महती कृपा करेंगे और शीध्र ही इन मॉगो पर अमल करने हेतु संबंधित विभाग को आदेश निर्गत करना चाहेंगे ।

भ वदी य

(कृष्ण मुरारी शर्मा)
अध्यक्ष

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव